

# HRA Entre VIIII Undia

असाधारण

# EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565] No. 565] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2009/रंत्र 12, 1931 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2009/CHAITRA 12, 1931

# कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2009

का.आ. 903(अ).—कंन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) को धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 30 मई, 2008 में सं. का.आ. 1270(अ), तारीख 30 मई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"(3) श्री दतला हनुमंता राजु, अध्यक्ष, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

—सदस्य (28-5-2009 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड(ख) के अधीन नाम निर्दिष्ट]"

[फा. सं. 1/5/2001-सी.एल. V] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1270(अ), तारीख 30 मई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. का.आ. 2266(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2008 द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया और सं. का.आ. 144(अ), तारीख 14 जनवरी, 2009 द्वारा उसमें और संशोधन किया गया।

### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2009

S.O. 903(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 30th May, 2008 vide No. S.O. 1270(E), dated the 30th May, 2008, namely:—

In the said notification for serial number (3) and entries relating thereto, the following entries shall be substituted namely:—

"(3) Shri Datla Hanumanta Raju, President of the Institute of Company Secretaries of India —Member (shall hold office up to 28-5-2009) [nominated under clause (b) of sub-section (2) of Section 210A]"

[F. No. 1/5/2001-CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published vide number S.O. 1270(E), dated the 30th May, 2008 and subsequently amended vide number S.O. 2:.66(E), dated the 25th September, 2008 and further amended vide number S.O. 144(E), dated the 14th January, 2009.

1299 GI/2009